रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 183] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 15, 1978/भाद्र 24, 1900
No. 183] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 15, 1978/BHADRA 24, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1978

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० : 61--ईटीसी(पीएन)/78

विषय : रसायनों का निर्यात

मिसिल सं० 35(9)78-ई. II:--रसायनों के निर्यात के लिये नीति से संबंधित निर्यात-नीति 1978-79 के अध्याय 2 में नीति विवरण की क्रम सं० 49 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया है कि निर्यात-नीति के पृष्ठ 23 पर क्रम संख्या 49 के सामने कालम 3 के अंतर्गत दी गई कुछ रसायनों के निर्यात के लिए वर्तमान व्यवस्थाओं को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :--

"(क) क्रम सं० 2,3,4 और 12 पर उल्लिखित मदें खुले सामान्य लाइसेंस 3 के अंतर्गत अनुमति की जाएंगी।

(ख) क्रम स० 6, 7, 8 और 11 पर उल्लिखित मदें पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पोत परिवहन बिलों पर पृष्ठांकन करने के बाद बिना किसी मात्रिक प्रतिबंध के अनुमित की जाएंगी।

(ग) क्रम सं० 10, 14 और 15 पर उल्लिखित मदें "गुणवत्ता के आधार पर" अनुमित की जाएगी।

का० वे० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi, the 15th September, 1978

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 61-ETC(PN)/78

Subject :—Export of Chemicals

File No. 35(9)/78-EII.—Attention is invited to S. No. 49 of the Policy Statement in Section II of the Export Policy 1978-79 pertaining to the Policy for export of Chemicals

2. On a review of the position, it has been decided that the existing provisions for the export of certain Chemicals as given under Column 3 against S. No. 49 at page 23 of the Export Policy, shall be substituted by the following :—

"(a) Items mentioned at S. Nos. 2, 3, 4 and 12 will be allowed under OGL-3.

(b) Items mentioned at S. Nos. 6, 7, 8 and 11 will be allowed freely by endorsements on shipping bills by the port licensing authorities, without any quantitative restriction.

(c) Items mentioned at S. Nos. 10, 14 and 15 will be allowed "On merits".

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978